रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032023-244145
CG-DL-E-04032023-244145

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/फाल्गुन 12, 1944
No. 129] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/PHALGUNA 12, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 165(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग में संयुक्त आयुक्त (डेयरी विकास) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग में संयुक्त आयुक्त (डेयरी विकास) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
संयुक्त आयुक्त (डेयरी विकास)।	01* (2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क'।	स्तर – 13 (1,23,100 - 2,15,900 रू.)	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पध्दति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति : ऐसे उपायुक्त (डेयरी विकास) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 12 (78800 – 209200/-	**विभागीय प्रोन्नति समिति :** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष)	प्रतिनियुक्ति (जिसमे अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति

रू.) में उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और और विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले डेयरी उद्योग में प्रबंधन और प्रौद्योगिकी विकास जिसमे आधुनिक क्वालिटी प्रयोगशाला की अभिज्ञता भी सम्मिलित है, में दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कानूनी संगठनों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800 – 209200/- रू.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो,- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डेयरी प्रौद्योगिकी में मास्टर्स तथा डेयरी अर्थशास्त्र या डेयरी प्रौद्योगिकी या डेयरी रसायन या डेयरी माइक्रोबायलोजी में डाक्टरेट डिग्री; और	2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (डेयरी विकास), पशुपालन और डेयरी विभाग (सदस्य) 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पशुपालन और डेयरी विभाग (सदस्य)	करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(ii) सरकारी या सहकारी डेयरी सेक्टर में अथवा किसी सरकार से मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास संस्थान में डेयरी विकास या दुग्ध प्रसंस्करण या अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा.सं. एम-03005/4/2018-प्रशा-4 (ई-8814)]

वर्षा जोशी, अपर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2023

G.S.R. 165(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Commissioner (Dairy Development) in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, namely:–

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Joint Commissioner (Dairy Development) (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix**.– The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**–– No person,––

   (a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

– shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Joint Commissioner (Dairy Development).	1*(2023) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	level 13 (Rs. 1,23,100-2,15,900/-)	Selection.

Age limit for Direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Promotion: Deputy Commissioner (Dairy Development) in level 12 (Rs.78800-209200/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks of training programme in Management and Technological developments in dairy industry including exposure to Modern Quality laboratories, to be organised by the Department. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or Statutory organisations or autonomous bodies or Public sector undertakings or recognised Universities or recognised research Institutes – (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 12 (Rs.78800-209200/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience,– (i) Bachelor Degree in Dairy Technology from a recognised University or Institute and Masters in Dairy Technology from a recognised University or Institutes and Doctorate Degree in Dairy Economics or Dairy Technology or Dairy Chemistry or Dairy Microbiology; and (ii) Ten years experience in Dairy Development or Milk processing or research in Government or Co-operative Dairy

sector or in a Government recognised research and development Institutes. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including short-term contract including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years. **Note 3:** The Maximum age-limit for appointment by deputation including short-term contract shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission (Chairman); 2. Additional Secretary or Joint Secretary (Dairy Development), Department of Animal Husbandry And Dairying (Member); 3. Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry and Dairying (Member).	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on Deputation (including short-term contract) basis.

[F. No. M-03005/4/2018-Admn-4 (E-8814)]

VARSHA JOSHI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.04 17:07:23 +05'30'